



SANJAY GANDHI POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES

Raebareli Road, Lucknow- U.P. (India)

RECRUITMENT

On LINE Applications are invited to fill up the following posts at Sanjay Gandhi Postgraduate Institute of Medical Sciences, Lucknow.

Sl. No	Designation Code	Name of Post	Pay Matrix	No. of Post
1	DG03033 (Group-B)	Sister Gr. II	Pay Matrix (44900-142400) (Level-7)	495

The details in respect of qualification, experience, age, fees and other terms & conditions can be seen in the Institute's website www.sgpqi.ac.in from 05-07-2018

ADVT.No.: I/24/Rectt./2018-19

DIRECTOR



EPBX NO. 0522-2494000/2495000/2668700/2668800/2668900
FAX:- 0522-2668017/2668078,

संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ,
SANJAY GANDHI POSTGRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES,
RAE BARELI ROAD, LUCKNOW, U.P (INDIA).

Advt. No. I/24/Rectt./2018-19

ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा करने के प्रारम्भ होने की तिथि- **09.07.2018**

अपेक्षित अभिलेख अपलोड करने के प्रारम्भ होने की तिथि - **11.07.2018**

ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन एवं शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि- **08.08.2018**

अपेक्षित अभिलेख अपलोड करने की अंतिम तिथि - **12.08.2018**

आवेदन पत्र सबमिट करने (Final Submission) की अंतिम तिथि- **13.08.2018**

संस्थान के विज्ञापन संख्या- Advt. No. I/24/Rectt./2018-19 के अंतर्गत सिस्टर ग्रेड- II, जिसका आरक्षित श्रेणीवार विवरण आगे बिन्दु-06 में दिया गया है, के सापेक्ष चयन हेतु भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। रिक्त पदों के लिए अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन सबमिट (SUBMIT) करना है।

1. ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना-

इस विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने हेतु ऑनलाइन आवेदन पद्धति (online application system) लागू है। अन्य किसी माध्यम से प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन ही करें।

“ऑनलाइन आवेदन” करने के संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित निर्देशों को भली-भांति समझ लें और तदनुसार आवेदन करें।

संस्थान की वेबसाइट **www.sgpgi.ac.in** पर निम्न 04 सूचनायें/विवरण प्रदर्शित होंगे:-

1. होम (Home)
 2. व्यू एडवर्टिजमेंट (view advertisement)
 3. अप्लाई (apply)
 4. हेल्प (Help)
- **होम (Home)** में इस चयन के सम्बन्ध में संक्षिप्त सूचना उपलब्ध होगी।
 - **व्यू एडवर्टिजमेंट (view advertisement)** में अभ्यर्थी व्यू एडवर्टिजमेंट (view advertisement) को क्लिक करें। ऐसा करने पर पूरा विज्ञापन प्रदर्शित होगा।
 - **अप्लाई (apply)** आवेदन हेतु अप्लाई (apply) पर क्लिक करें। ऑनलाइन आवेदन करने का कार्य निम्नांकित 02 स्तरों पर किया जाएगा:-

प्रथम स्तर— अप्लाई (apply) क्लिक करने पर परीक्षा के सापेक्ष कैंडीडेट रजिस्ट्रेशन (candidate registration) एवं आनलाईन पेमेन्ट (online payment) क्लिक करने पर अभ्यर्थी का बेसिक रजिस्ट्रेशन फार्म प्रदर्शित होगा। पंजीकरण फार्म में स्टेट आफ डोमेसाईल, श्रेणी, विज्ञापन संख्या, नाम, जन्म तिथि, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, मोबाईल संख्या, ईमेल आदि विवरण अंकित करने हैं। पंजीकरण फार्म पूर्ण करने के उपरान्त ऑनलाईन पेमेन्ट (online payment) क्लिक करने पर निर्धारित फीस का आनलाईन भुगतान किया जायेगा। शुल्क भुगतान के दो कार्य दिवसों के उपरान्त अभिलेख अपलोड किये जा सकेंगे।

द्वितीय स्तर— प्रथम स्तर की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त अभ्यर्थियों द्वारा अगले स्तर को क्लिक कर अधोलिखित अभिलेख अपलोड किये जायेंगे:—

- पासपोर्ट साईज रंगीन फोटोग्राफ
- बांये हाथ के अंगूठे का निशान
- हस्ताक्षर
- जन्मतिथि के साक्ष्य हेतु हाईस्कूल का प्रमाण-पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)
- नर्सिंग काउन्सिल रजिस्ट्रेशन का प्रमाण-पत्र

अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने हाल के नवीनतम (छ: महीने से पुराना न हो) आवक्ष तक के रंगीन फोटोग्राफ तथा नमूना हस्ताक्षर की स्कैनिंग कर प्रविष्टि (upload) करेंगे। फोटोग्राफ, अपेक्षित प्रमाण-पत्र एवं हस्ताक्षर (*.jpg) के प्रारूप पर होंगे जिसका आकार 80KB से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी काली स्याही से हस्ताक्षर करके उसको स्कैन करेंगे। यदि फोटो, प्रमाण-पत्र व हस्ताक्षर आदि निर्धारित आकार में स्कैन करके अपलोड नहीं किया जाता है तो ऑनलाइन आवेदन, सिस्टम पर स्वीकार नहीं होगा। फोटो आदि अपलोड करने के उपरान्त "व्यू एप्लीकेशन फार्म" को क्लिक करके अभ्यर्थी अपने द्वारा भरी गयी सूचनाओं को देख लें कि सभी सूचनाएँ सही-सही भरी गयी हैं और पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ऑनलाइन आवेदन संस्थान को प्रेषित करने हेतु "सबमिट" बटन को क्लिक करें। अभ्यर्थी द्वारा समस्त सूचनाएँ सही-सही निर्देशानुसार ऑनलाइन फार्मेट में भरकर आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि तक सबमिट बटन को क्लिक करना आवश्यक है, यदि अभ्यर्थी द्वारा सबमिट बटन को क्लिक नहीं किया जाएगा तो आवेदन सबमिट नहीं होगा। इसका दायित्व अभ्यर्थी का होगा। "सबमिट" बटन को क्लिक करने के पश्चात आवेदन का प्रिंटआउट लेकर अभ्यर्थी इसे अपने पास सुरक्षित रखें, इसे संस्थान को प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन करते समय पूरी सावधानी बरतें क्योंकि किसी विसंगति के लिए संस्थान जिम्मेदार न होगा।

नोट— अभ्यर्थी कृपया ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के प्रथम तथा द्वितीय स्तर का अनुपालन सुनिश्चित कर लें। यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन शुल्क जमा करने के बाद अंतिम रूप से अपना आवेदन सबमिट नहीं करता है तो आवेदन की प्रक्रिया अधूरी रह जाएगी। अभ्यर्थी के अंतिम रूप से आवेदन सबमिट न करने की दशा में उनका आवेदन अपूर्ण रह जाएगा और उसके लिए संस्थान जिम्मेदार नहीं होगा।

2. एक बार आवेदन "सबमिट" करने के पश्चात उसमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकेगा।

3. **आवेदन शुल्क—** आवेदन हेतु श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:—

क्र.सं.	श्रेणी	आवेदन शुल्क (Non-refundable)
1	उ०प्र० के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	300.00
2	अन्य (अनारक्षित एवं अन्य पिछड़ा वर्ग)	500.00

नोट:- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, महिला अभ्यर्थियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेंगे तथा अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी हेतु उपरोक्तानुसार देय फीस जमा करनी होगी, अन्यथा की स्थिति में आवेदन-पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

4. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में किया गया दावा सत्य नहीं पाये जाने पर अभ्यर्थी को संस्थान की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त चयनों/परीक्षाओं से डिबार करने की कार्यवाही तथा अन्य दण्डात्मक कार्यवाही की जा सकती है।

5. सबमिट किये गए आवेदन में यदि अभ्यर्थी कोई संशोधन करना चाहते हैं तो निर्धारित अंतिम तिथि तक वे दूसरा आवेदन (सेकेण्ड रजिस्ट्रेशन) संशोधित सूचना के साथ, पुनः आवेदन शुल्क जमा करके ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। पहले आवेदन में जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जाएगा और उसका समायोजन अन्य आवेदन में भी नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा उक्त पद के लिए एक से अधिक आवेदन 'सबमिट' करने की दशा में अंतिम आवेदन ही स्वीकार होगा, शेष सभी आवेदन निरस्त माने जाएंगे।

6. संस्थान में सिस्टर ग्रेड-2 के रिक्त 495 पदों का श्रेणीवार विवरण निम्नवत है:-

सारणी-1

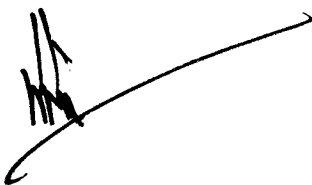
क्र. सं.	विभाग का नाम	पद नाम	पे मैट्रिक्स	01 जनवरी 2018 को आयु (न्यूनतम-अधिकतम) वर्षों में	अनारक्षित	अन्य पिछड़ा वर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जन जाति	कुल पद
1	संजय गाँधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ	सिस्टर ग्रेड-2	पे मैट्रिक्स (रु0 44900-142400) (लेवल-7)	21-40	278	118	84	15	495

टिप्पणी

- उपर्युक्त पद के सापेक्ष आवेदन हेतु इच्छुक अभ्यर्थी, जो 01 जनवरी, 2018 को पद के सम्मुख अंकित आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं और पद हेतु विहित अपेक्षित अर्हताएं, जिसका उल्लेख आगे सारणी-2 में किया जा रहा है, धारित करते हैं, वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- उत्तर प्रदेश शासन के आरक्षण संबंधी नवीनतम अधिनियमों एवं शासनादेशों में निर्धारित/अध्यादेशों/नीति निर्देशों के अनुरूप आरक्षित रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है।
- रिक्तियों की संख्या घट बढ़ सकती है।

7. अपेक्षित अर्हताएं :-

उपर्युक्त पदों पर भर्ती हेतु अपेक्षित अर्हताएं निम्नवत है तथा आवेदन (Final Submission) की अंतिम तिथि 13.08.2018 तक अपेक्षित अर्हताएं धारित करने वाले अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।



शैक्षिक अर्हताओं एवं अनुभव सम्बन्धी समस्त प्रमाण-पत्र तथा उक्त अपेक्षित प्रमाण-पत्र स्कैन कर निर्धारित स्थान पर अपलोड किये जायेंगे।

पद क्रमांक	पद नाम	अनिवार्य अर्हता/अधिमानी अर्हता
1.	सिस्टर ग्रेड-2 (समूह-ख)	Diploma in General Nursing and midwifery from a recognized institute or equivalent qualification for male Nurse. Preference to those having 3 years exp. in a large hospital or Medical College or B.Sc. Nursing should be a registered "A" Grade Nurse & Midwife with a State Nursing Council or equivalent qualification for Male Nurses.

8. आयु सीमा :- (a) आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जनवरी, 2018 है और उक्त तिथि को अभ्यर्थी की आयु उपर्युक्त सारणी-1 में अंकित आयुसीमा के अन्तर्गत हो, अर्थात् अभ्यर्थी ने 01 जनवरी, 2018 को 21 वर्ष की आयु अवश्य प्राप्त कर ली हो और 40 वर्ष से अधिक आयु प्राप्त न की हो, अर्थात् उसका जन्म 02 जनवरी 1978 के पूर्व तथा 01 जनवरी, 1997 के बाद न हुआ हो।

(b) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग और ऐसी अन्य श्रेणी, के अभ्यर्थियों की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट हो। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ावर्ग हेतु अधिकतम आयु में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी। शासनादेश दिनांक 28.11.1995 के अनुसार वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ियों को 5 वर्ष की छूट अनुमन्य होगी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए अधिकतम आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट इस शर्त के साथ अनुमन्य होगी कि उनकी सम्पूर्ण सेवा अवधि को उनकी वास्तविक आयु में से घटा कर, परिणामस्वरूप शेष आयु निर्धारित आयु से 03 वर्ष से अधिक न हो। आवेदन की अंतिम तिथि तक सेना से मुक्त होना अनिवार्य है।

9. आरक्षण:- उ0प्र0 की अनुसूचित जातियों/उ0प्र0 की अनुसूचित जनजातियों, उ0प्र0 के अन्य पिछड़ा वर्गों को उत्तर प्रदेश सरकार के अद्यावधिक विद्यमान शासनादेशों के अनुसार आरक्षण अनुमन्य होगा। आरक्षण का लाभ केवल उ0प्र0 के निवासियों को ही अनुमन्य होगा।

नोट:- आरक्षण/आयु में छूट का लाभ चाहने वाले अभ्यर्थी सम्बन्धित आरक्षित श्रेणी के समर्थन में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र/आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी किया गया हो तथा सत्यापन करने पर संगत वेबसाइट में उपलब्ध हो। जाति प्रमाण-पत्र संगत वेबसाइट से सत्यापित न होने की दशा में निरस्त माना जायेगा।

10. चयन का आधार:- चयन हेतु निम्न 02 स्तर होंगे:-

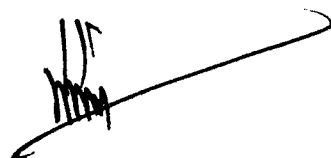
पार्ट-"ए" लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)

पार्ट-"बी" इण्टरव्यू/स्किल टेस्ट/प्रेक्टिकल टेस्ट/टेक्निकल टेस्ट

- श्रेष्ठता के क्रम में पार्ट-बी हेतु प्रति पद तीन अभ्यर्थी (1:3) बुलाये जायेंगे।

11. अभ्यर्थियों के लिए सामान्य अनुदेश:-

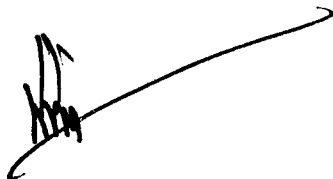
1. उत्तर प्रदेश के आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें।
2. एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को केवल एक छूट, जो अधिक लाभकारी होगी, दी जाएगी।



3. वर्गीकृत खेलों के कुशल खिलाड़ी तथा भूतपूर्व सैनिक उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अद्यावधिक निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र पर अपना दावा प्रस्तुत करेंगे, अन्यथा अभ्यर्थी द्वारा एतदर्थ किया गया दावा स्वीकार नहीं होगा।
4. उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, जैसी भी स्थिति हो, की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो, ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।
5. उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति के पुत्र या पुत्री तथा वह अथवा उनका परिवार सामान्यतया उत्तर प्रदेश में निवास करता हो। ऐसी महिला अभ्यर्थी का जाति प्रमाण पत्र जिसमें उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग की श्रेणी में आने वाले व्यक्ति की पत्नी होने का उल्लेख है, मान्य न होगा।
6. जो अभ्यर्थी केंद्र या राज्य सरकार की सेवा में सेवारत है, वे अपने सेवायोजक से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लें, जिसे मांगे जाने पर संस्थान को प्रस्तुत करना होगा, प्रारम्भ में अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं है, परन्तु इस आधार पर विलंब से प्राप्त आवेदन पत्रों को कालबाधित माना जाएगा।
7. राज्यधीन सेवाओं में कार्यरत कर्मचारियों को उ०प्र० शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या 2-ई.एम./2001-का-4-2013, दिनांक 27 अगस्त, 2013 के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में पाँच वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी।
8. ऐसे पुरुष अभ्यर्थी जो विवाहित हैं तथा जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नियाँ हैं अथवा ऐसी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले से ही एक जीवित पत्नी है, पात्र नहीं समझे जाएंगे बशर्ते कि राज्यपाल महोदय द्वारा उक्त प्रतिबंध से मुक्ति प्रदान न कर दी गयी हो।
9. अभ्यर्थी के अर्ह/अनर्ह होने के संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
10. चयनित महिलाओं, उ०प्र० स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, भूतपूर्व सैनिकों को विद्यमान नियमानुसार उन श्रेणियों में रखा जाएगा, जिनसे वे संबन्धित हैं।
11. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, महिला अभ्यर्थियों तथा भूतपूर्व सैनिकों को जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी नहीं हैं, उन्हें आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं है, ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के माने जायेंगे। महिला अभ्यर्थियों के मामले में पिता पक्ष से निर्गत प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।

12. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश-

1. किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को, जिनकी प्रमाण पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर संस्थान की प्रश्नगत परीक्षा तथा अन्य समस्त परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित किया जा सकता है।
2. ऑनलाइन आवेदन "सबमिट" हो जाने के पश्चात संस्थान कार्यालय में अभ्यर्थी की श्रेणी, उपश्रेणी, जन्मतिथि, जेंडर (लिंग) आदि में परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। अतः रजिस्ट्रेशन करते समय व आवेदन सबमिट करते समय सभी सूचनाएँ सही-सही भरें। गलत सूचना भरने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। ऑनलाइन प्रक्रिया में आवेदक द्वारा भरी गयी सूचनाएँ अंतिम हैं, इसमें संस्थान द्वारा संशोधन किया जाना संभव नहीं है।
3. हाईस्कूल अथवा समकक्ष उत्तीर्ण परीक्षा के प्रमाण पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा।



4. आयु एवं शैक्षिक योग्यता की पुष्टि में अंकपत्र, प्रमाण पत्र, उपाधि की स्वप्रमाणित प्रति साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना होगा।
5. परीक्षा की तिथि, समय तथा केन्द्रों आदि के संबंध में अनुक्रमांक सहित प्रवेश पत्र के माध्यम से सूचना दी जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र पर ही परीक्षा देनी होगी। परीक्षा केंद्र के किसी भी दशा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।
6. जो अभ्यर्थी कालांतर में अर्ह नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और इस संबंध में संस्थान का निर्णय अंतिम होगा।
7. संस्थान अभ्यर्थियों को उनके द्वारा दी गयी सूचनाओं के आधार पर लिखित परीक्षा में औपबन्धिक प्रवेश देगा, किन्तु बाद में किसी भी स्तर पर यह पाये जाने पर कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन प्रारम्भिक स्तर पर स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उक्त स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि नियुक्ति हेतु निर्णय ले भी लिया गया तो उसे निरस्त कर दिया जायेगा।
8. कदाशय अर्थात् परीक्षा भवन में नकल करने, अनुशासनहीनता, दुर्व्यवहार तथा अवांछनीय कार्य करने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। इन अनुदेशों की अवहेलना करने पर अभ्यर्थी को इस परीक्षा तथा भविष्य में होने वाली परीक्षाओं से प्रतिवारित किया जा सकता है।
9. नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियमों में अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा।
10. ऐसे अभ्यर्थी जो आवेदन "सबमिट" करने की अंतिम तिथि तक वांछित अनिवार्य अर्हता नहीं रखते हैं, वे इस परीक्षा में आवेदन न करें क्योंकि वे पात्र नहीं हैं। उनका अभ्यर्थन स्वीकार नहीं होगा।
11. संस्थान अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के संबंध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिए उन्हें विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए और वे तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो जाए कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुरूप अर्ह हैं।
12. किसी अनाचार/कदाचार, किसी महत्वपूर्ण सूचना को छुपाने, अभियोजन/अपराधिक वाद लंबित होने, दोष सिद्ध होने, एक से अधिक जीवित पति या पत्नी के होने, तथ्यों के गलत प्रस्तुत करने तथा अभ्यर्थन/चयन के संबंध में सिफारिश करने आदि कृत्यों में लिप्त पाये जाने पर अभ्यर्थन निरस्त करने तथा संस्थान की परीक्षाओं एवं चयनों से प्रतिवारित करने का अधिकार संस्थान का होगा।
13. यदि अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन करने में कोई कठिनाई हो रही है तो अधोलिखित **हेल्प डेस्क** से सम्पर्क करें:— Email: recruitment18@sgpgi.ac.in
14. इस विज्ञापन/चयन को निरस्त करने एवं संशोधन करने का सम्पूर्ण अधिकार निदेशक में निहित होगा। इस सम्बन्ध में कोई पत्राचार न होगा।


संयुक्त निदेशक (प्रशासन)